संख्या-45/2016/953/22-2-2015-17(196)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 मई, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री पूरन, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42090/पर-3(एम-11-09-2015) दिनांक-23-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री पूरन, निवासी ग्राम-मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली, वर्तमान पता ग्राम-गढीहार, थाना-कमलापुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। खेतों के मध्य खडे आम का पेड काटे जाने से उत्पन्न विवाद एवं मुकदमे बाजी की रंजिश में बन्दी दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला तथा बन्दूक से विपक्षियों पर हमला कर दिया तथा घर में आग लगा दी, जिससे कुल 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा कई मकान जलकर नष्ट हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,302,436,440,307/452 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 25-08-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 27-08-2015 तक 17 वर्ष 11 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 07 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 01 सहअभियुक्त को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया, 05 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की सम्भावना होने तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रायोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री पूरन, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामप्रसाद(बन्दी संख्या-36444) पुत्र श्री पूरन, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-953/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-953/22-2-2015-17(196)/2015

दिनांक अप्रैल, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी राम प्रसाद (बन्दी संख्या-36444) पुत्र श्री पूरन, निवासी ग्राम-मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली, वर्तमान पता ग्राम-गढीहार, थाना-कमलापुर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। खेतों के मध्य खडे आम का पेड काटे जाने से उत्पन्न विवाद एवं मुकदमे बाजी की रंजिश में बन्दी दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला तथा बन्दूक से विपक्षियों पर हमला कर दिया तथा घर में आग लगा दी, जिससे कुल 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा कई मकान जलकर नष्ट हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148,302,436,440,307/452 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 25-08-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 27-08-2015 तक 17 वर्ष 11 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 07 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 01 सहअभियुक्त को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया, 05 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध की सम्भावना होने तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रायोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री पूरन, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in